

(ग) कर देय योग्यता का सिद्धान्त (Ability to pay Principle)

इस सिद्धान्त को कराधान में न्याय प्राप्त करने के लिए व्यक्त रूप से स्वीकृत किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अथवा भुगतान करने की सुविधा के अनुसार कर देने चाहिए। कर देय क्षमता के अनुसार कराधान इस व्यापक मान्यता पर आधारित है जिनके पास आय अथवा सम्पत्ति है उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार उसी अनुपात में राज्य को अंशदान देना चाहिए। प्रो. वेस्टर्न (Prof. Western) ने इसे कराधान का आदर्श आम्बार बताया है। इसी प्रकार एडम स्मिथ (Adam Smith) ने ठीक ही कहा है कि-“प्रत्येक राज्य के नागरिकों को सरकार की सहायता के लिए उदात्त तक सम्भव हो अपनी योग्यता के अनुपात में अंशदान देना चाहिए, इसे ही कराधान में समानता का नाम दिया गया है।” “The subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible in proportion to their respective abilities... what is called equality of taxation.”

यह सिद्धान्त लाभ के सिद्धान्त के समान ही पुराना है। अनेक विद्वान जिनमें बोडिन, सिसमोन्डी, जे. एस. मिल, रुसिसो, वैगनर और रुसोवोहट (Bodin, Sismondi, J.S. Mill, Rausseau, Wagner and Roosevelt) ने इसे अपने ढंग से संशोधित एवं पुनः प्रतिपादित किया है। जे. एस. मिल (J.S. Mill) ने लाभ सिद्धान्त को अस्वीकार कर दान योग्यता के सिद्धान्त का पक्ष लिया है।

जे. एस. मिल (J.S. Mill) के अनुसार, “क्योंकि सरकार को व्यक्तियों अथवा वर्गों पर उन पर दान के रूप में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनसे जितना भी त्याग चाहिए वह जहां तक संभव हो सब पर समान रूप से भार डाले, वह देखा गया है कि पूर्ण रूप पर यही सबसे कम भार होगा...-अर्थात् कराधान की समानता। इसका अर्थ है कि सरकार के व्ययों की ओर प्रत्येक व्यक्ति का अंशदान इस प्रकार हो कि उसे अपने अंश का भुगतान करते समय अन्य लोगों की तुलना में असुविधा न कम हो और न ही ज्यादा।” “As a government ought to make no distinction of persons or classes in the strength of their claim on it, whatever sacrifices it requires of them should be made to be as nearly as possible with the same pressure upon all which it must be observed is the mode by which least sacrifice it occasioned on the whole...means equality of taxation. It means apportioning the contribution of each person towards the expense of the government so that he will feel neither more or less inconvenience from his share of the payment than every other person experiences from him.” उनके अनुसार कराधान में समानता का अर्थ है त्याग में समानता। कराधान समान और न्यायपूर्ण तब होता है जब करारोपण का वितरण इस प्रकार हो कि सभी जो समान हित में अंशदान करते हैं, उनका त्याग समान हो। अतः कर राशि को समाज के सामूहिक लाभ के रूप में लिया जाना चाहिए।

कर देय योग्यता सिद्धान्त का औचित्य (Justification for Ability to pay Principle of Taxation)

कर देय योग्यता सिद्धान्त को निम्नलिखित तीन आधारों पर न्यायोचित ठहराया गया है—

1. समान त्याग (Equal Sacrifice) — इस सिद्धान्त का प्रथम और न्यायपूर्ण पक्ष यह है कि यह प्रत्येक करदाता से समान मात्रा में कर की आशा करता है। प्रत्येक करदाता बराबर कर देने में मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करता है। प्रो. डाल्टन (Prof. Dalton) ने कहा है, "क्षमता के अनुसार त्याग की व्याख्या व्यक्तिगत करदाता अथवा सामूहिक करदाताओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है।" "Sacrifice interpretation of ability look at the psychological effects of tax payments upon individual tax payers or every group of tax payers." प्रो. जे. एम. मिल (J.S. Mill) के अनुसार, "इस स्थिति से अधिक समानता क्या होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सरकार को सहायता के लिए दिया गया अंशदान सभी के लिए समान त्याग हो।" "What would be more equitable than a situation under which each person's contribution to the support of the government resulted in equal sacrifice for all."

2. आय की घटती सीमान्त उपयोगिता का नियम (Law of Diminishing Marginal Utility of Income) — क्षमता सिद्धान्त को आय की घटती सीमान्त उपयोगिता की दृष्टि में भी न्यायपूर्ण कहा गया है। आय की घटती सीमान्त उपयोगिता का नियम सामान्य घटती सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त से विकसित हुआ है। आय में वृद्धि से अतिरिक्त आय की उपयोगिता में कमी आती है। दूसरी तरफ यदि आय में कमी आती है तो मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में वृद्धि होती है। इसके अनुसार कर भार को समान बनाने के लिए अमीर व्यक्तियों पर गरीबों की तुलना में अधिक कर लगाए जाने चाहिए और समाज के गरीब वर्ग को कर से छूट-होनी चाहिए अथवा उन पर कम कर लगाए जाने चाहिए।

3. क्षमता की व्याख्या (Interpretation of faculty) — कर देय योग्यता को क्षमता की व्याख्या के अनुसार भी उचित ठहराया गया है। यह व्यक्ति के उत्पादन और उपभोग करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसे व्यक्ति की आय और संचित सम्पत्ति के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् व्यक्ति के पास जो साधन रह जाते हैं वह उसकी कर देने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। प्रो. हॉबसन (Prof. Hubson) ने इसे आर्थिक अधिक्य कहा है। उनके अनुसार — "आर्थिक अधिक्य आय का वह भाग है जो कर भार वहन कर सकता है। क्षमता में वृद्धि के साथ आर्थिक अधिक्य में भी वृद्धि होती है और आय तथा सम्पत्ति के अनुपात में भी उतनी वृद्धि होती है जितनी आर्थिक अधिक्य में।"

भुगतान क्षमता के सूचक (Index of Ability to pay)

1. सम्पत्ति (Property) — प्रारम्भिक अर्थशास्त्रियों ने सम्पत्ति को भुगतान क्षमता का सर्वश्रेष्ठ आधार माना है। किसी परिवार की आर्थिक सम्पन्नता उसकी सम्पत्ति पर निर्भर करती है परन्तु वास्तविक अर्थ में यह निम्नलिखित कारणों से भुगतान क्षमता का पूरक सूचक है।

हालांकि सम्पत्ति आय का महत्वपूर्ण स्रोत है परन्तु सभी सम्पत्तियों से आय प्राप्त नहीं होती।

(क) सम्पत्ति से आय लगातार प्राप्त नहीं होती।

(ख) सम्पत्ति से आय अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग हो सकती है।

(ग) सम्पत्ति पर उसके पूंजीगत मूल्य के अनुसार कर लगाया जाता है और यदि सम्पत्ति से कोई आय प्राप्त न हो तो उस पर कर लगाना न्यायपूर्ण नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सम्पत्ति को भुगतान क्षमता के प्राथमिक सूचकों में रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे कर देने की क्षमता की अपार संभावनाएं हैं। संक्षेप में सम्पत्ति को क्षमता को पूरक माना जाए क्योंकि यह कर देने के स्तर में वृद्धि करता है।

2. आय (Income) — विश्व अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास के साथ आय को सम्पत्ति के स्थान पर कर देय शक्ति का मुख्य सूचक माना गया है। इस प्रकार आय कर देय शक्ति महत्वपूर्ण सूचक है। इस उद्देश्य के लिए कुल आय की अपेक्षा निवल आय को श्रेष्ठ माना जाता है। प्रो. एडम स्मिथ (Prof. Adam Smith) के अनुसार आय भुगतान क्षमता का सर्वोत्तम मापदण्ड है। उनके विचार में वेतन और आवश्यकताएं जो कि वास्तविक जीवन यापन की आय है, उन को कराधान से मुक्त होना चाहिए क्योंकि गरीबों पर लगाए जाने वाले करों का स्थानांतरण अनिवार्य है। अतः कर योग्य-आय को स्पष्ट आय अथवा जीवन यापन से अधिक की आय कहा जा सकता है।

3. परिवार का आकार (Size of the family) – परिवार का आधार भी एक मुख्य घटक है जो कि करदाता की कर देने की क्षमता को प्रभावित करता है। समान आय की स्थिति में बड़े परिवार की कर देने की क्षमता छोटे परिवार की तुलना में कम होती है। अतः कर क्षमता निर्धारित करने से पहले परिवार के आकार को मद्देनज़र रखना आवश्यक है। लेकिन इसे कर प्रदान क्षमता का प्राथमिक आधार नहीं माना जा सकता।

4. उपभोग (Consumption) – किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग पर किया गया व्यय भी उसके कर देने की क्षमता को प्रभावित करता है। कई बार आय और सम्पत्ति का गलत विवरण देकर कर वचन का प्रयास किया जाता है। प्रो. जे. एस. मिल, प्रो. इविंग फिशर और प्रो. कैल्डोर (Prof. J.S. Mill, Prof Irving Fisher and Prof. Kaldor) ने उपभोग को महत्वपूर्ण माना है। प्रो. कैल्डोर के अनुसार, “आय की अपेक्षा उपभोग कराधान का आधार होना चाहिए।” “Consumption rather than income should be the basis of taxation.” यह उपभोग ही है जिससे यह मापा जाता है कि वास्तव में व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अर्थव्यवस्था से कितने साधन लिये हैं। हाल ही में विकासशील देशों में व्यक्तिगत आय करों के पूरक के रूप में व्यय कर लगाया जा रहा है। संक्षेप में, आय को आर्थिक क्षमता का सबसे अधिक उपयुक्त सामान्य मानक माना गया है।

कर देयता की क्षमता को मापने का व्यक्तिगत अथवा भावनात्मक दृष्टिकोण (Subjective

Approach to measure the Ability to pay taxes)

व्यक्तिगत दृष्टिकोण करदाताओं पर कर भार लगने पर होने वाली मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। प्रत्येक कर दाता को समान त्याग करना चाहिए यदि कर भार समान रूप से वितरित किया जाए। प्रो. जे. एस. मिल (Prof. J.S. Mill) का मत है कि प्रत्येक कर दाता को कर भार समान अनुपात में उठाना चाहिए। उनका सुझाव था कि क्षैतिज समानता प्राप्त करने के लिए समान आय समूह के लोगों के साथ समानता का व्यवहार तथा ऊर्ध्व समानता प्राप्त करने के लिए असमान आय समूह के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए परन्तु समान त्याग की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई।

समान त्याग की व्याख्या निम्नलिखित तीन प्रकार से की जा सकती है—

1. समान निरपेक्ष त्याग
2. समान अनुपातिक त्याग
3. समान सीमान्त त्याग

1. समान निरपेक्ष त्याग (Equal Absolute Sacrifice) – इसका अर्थ है कि विभिन्न आय समूहों से संबंधित सभी करदाताओं के लिए उपयोगिता अथवा त्याग की कुल हानि समान होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि अमीर समुदाय से संबंधित लोगों को गरीब वर्ग की तुलना में अधिक कर प्रदान करने चाहिए। एक समय इस सिद्धान्त को अपनी न्यायपरता के कारण बहुत समर्थन प्राप्त हुआ परन्तु बाद में अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसे प्रतिगामी कर कह कर अस्वीकार कर दिया वास्तव में कर दर उस दर पर निर्भर करती है जिस पर आय में वृद्धि के साथ मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में कमी आती है। कर वितरण का प्रगतिशील, अनुपातिक अथवा प्रतिगामी होना सीमान्त आय की लोच के अधिक होने, समान होने अथवा कम होने पर निर्भर करता है। इसी समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आय में वृद्धि के साथ मुद्रा की उपयोगिता दर में कमी को मापना कठिन है। यदि प्रगतिशील दर नियत हो तो यह न्यायपूर्ण नहीं होगा। इस सन्दर्भ में ए. सी. पीगू (A.C. Pigou) ने माना है कि उच्चतर आय में प्रगतिशीलता की उच्चदर को अपना न्यायोचित है।

दूसरे शब्दों में, करारोपण के परिणाम स्वरूप सभी करदाताओं को उपयोगिता की होने वाली निरपेक्ष हानि समान होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि कर देने से पहले आय की उपयोगिता तथा कर देने के बाद आय की उपयोगिता के मध्य का अन्तर प्रत्येक कर दाता के लिए समान होगा। यदि समुदाय में हम दो व्यक्ति R और P माने और आय की कुल उपयोगिता को Y और कर राशि को T मान कर गणितीय समीकरण के अनुसार (Y-T) कर के बाद आय बताता है, तब समान निरपेक्ष त्याग के सिद्धान्त को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है—

$$[U(Y) - U(Y-T)] R = [U(Y) - U(Y-Y)] P$$

2. समान अनुपातिक त्याग (Equal Proportional Sacrifice) – समान अनुपातिक त्याग का सिद्धान्त बताता है कि कर के कारण करदाता को उपयोगिता की हानि कुल आय के अनुपात में होनी चाहिए। उच्च आय समूह के करदाता

कम आय समूह की तुलना में अधिक भुगतान करेंगे परन्तु त्याग का अनुपात सभी आय समूहों के लिए समान होगा। गणितीय समीकरण में इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है—

$$\text{कर की दर} = \frac{\text{करदाता X का त्याग}}{\text{X की कुल आय}} = \frac{\text{करदाता Y का त्याग}}{\text{Y की कुल आय}}$$

समान आनुपातिक त्याग सिद्धान्त कर भुगतान से हुये त्याग को आय से प्राप्त आनन्द अथवा संतुष्टि से संबंधित करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार के करों में प्रगतिशील कराधान संभव है क्योंकि आय में वृद्धि से मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में कमी आती है।

समान अनुपातिक त्याग के उपरोक्त विश्लेषण की व्याख्या चित्र 10.4 के द्वारा की जा सकती है।

चित्र 10.4 में आय को क्षैतिज अक्ष पर तथा सीमान्त उपयोगिता को उर्ध्व अक्ष पर मापा गया है। यदि आय में वृद्धि दर के समान ही सीमान्त उपयोगिता में गिरावट आती है तो सीमान्त उपयोगिता वक्र इस प्रकार होगा कि प्रत्येक बिन्दु के लिए ABCD द्वारा लम्बित कोण बनता हो, दोनों ध्रुवों के समान अनुपात में वक्र के अन्तर्गत इस बिन्दु के बाईं तरफ क्षेत्र रहते हैं। इस वक्र का समीकरण इस प्रकार प्रस्तुत है—

$U'(Y_1)/U'(Y_2) = Y_2/Y_1$ जहां $U(Y_1)$ और $U'(Y_2)$ आय Y_1 और Y_2 की सीमान्त उपयोगिताएं हैं। आइए एक सीधी रेखा बनाएं जो कि मूल बिन्दु 0 से आरम्भ हो और दोनों के मिलान बिन्दु P तक हो और प्रत्येक अक्ष 45° का कोण बनाती हो। यहां आयताकार अति पर वलय APB बिन्दु P से निकलता है।




Fig. 10.4

तब अनुपातिक CPD की रेखा आयताकार अतिपरवलय के बाएं P में तथा उसके ऊपर P के दाएं में होगी। अब समान अनुपातिक त्याग के लिए हमारे पास निम्नलिखित निष्कर्ष हैं। यदि सीमान्त उपयोगिता वक्र CPD से मिलता है तो आयकर की दर आनुपातिक होनी चाहिए होनी चाहिए। यदि यह DPD से भी अधिक तेज गति से गिरता है तो दरें प्रगतिशील होनी चाहिए और यदि सीमान्त उपयोगिता वक्र CPD से कम तेजी से गिरता है तब कर की दरें प्रतिगामी होनी चाहिए। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समान अनुपातिक त्याग की दशा में कर की दरें केवल इसलिए प्रगतिशील नहीं होनी चाहिए कि आय का संबंध गिरती हुई सीमान्त उपयोगिता से है। यह निष्कर्ष इस अवधारणा पर आधारित है कि आय की सीमान्त उपयोगिता का व्यवहार सीमान्त उपयोगिता वक्र के आय वक्र पर देखा जा सकता है।

3. समान सीमान्त त्याग (Equal Marginal Sacrifice) — इस सिद्धान्त को न्यूनतम औसत त्याग का नियम (Least Aggregate Sacrifice Principle) भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार सब करदाताओं द्वारा किया जाने वाला कुल त्याग न्यूनतम होना चाहिए। पीगू के अनुसार यह नियम कराधान का आखिरी नियम है। वास्तव में यह केवल वस्तुपरक सिद्धान्त की ही बढ़ाव है। यह सिद्धान्त सभी करदाताओं द्वारा किए गए त्याग अथवा अनुपयोगिता को समग्र रूप से लेता है उनके द्वारा ली गई यह मान्यता, कि व्यक्ति द्वारा किये गये त्याग का योग किया जा सकता है, वैध नहीं है। मुसग्रेव के अनुसार, "यह कराधान का अंतिम सिद्धान्त है।" "It is ultimate principle of taxation." यह प्रगतिशील कराधान की ओर ले जाता है। डाल्टन के अनुसार करदाता को न्यूनतम हानि होनी चाहिए तथा उन्हें जैसे खोजा गया था वैसा ही छोड़ा जाना चाहिए। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न करदाताओं के लिए कुल त्याग के स्थान पर सीमान्त त्याग एक समान होना चाहिए तभी समस्त समुदाय का समग्र त्याग न्यूनतम होगा।

इस प्रकार इन तीनों धारणाओं की समान त्याग के बारे में कम से कम तीन सम्भव परिचल्ल्पनाएँ हैं, उस अवधारणा का अनुसरण करना है जो अधिकतम कल्याण उपलब्ध करवाती है अथवा समस्त समाज पर न्यूनतम त्याग का भार डालती है।

कर देय क्षमता के व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण की सीमाएँ (Limitations of the Subjective Approach of Ability to pay)

कर देय क्षमता के व्यक्तिगत दृष्टिकोण के समक्ष कुछ गम्भीर समस्याएँ हैं—

1. सभी लोगों के सीमांत त्याग में समानता लाना कठिन है क्योंकि ऐसा संभव है कि समान आय व दायित्व वाले लोग समान त्याग न करें। ऐसा भी हो सकता है कि कर भुगतान के संबंध में उनके विचार, पसंद तथा स्वभाव अलग-अलग हो।
2. त्याग एक व्यक्तिगत अवधारणा है इसलिए इसे कर प्राधिकरण द्वारा सही सही नहीं मापा जा सकता।
3. आय में वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता की गिरती दर को मापना संभव नहीं है। इसलिए सीमांत त्याग का मनमाना निर्धारण ही सम्भव है।
4. उपयोगिता, व्यक्ति द्वारा अर्जित आय पर अधिक निर्भर करती है न कि सम्पत्ति व धन द्वारा अर्जित आय पर। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन है कि इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने कितना त्याग किया है।
5. नैयतिक दृष्टिकोण बहुत आदर्शवादी अवधारणा है जो कि वास्तविक जीवन की सच्चाइयों से दूर होती है।
6. नैयतिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं है। प्रो. मुसग्रेव ने कहा है कि, "यह देखा जाना अभी शेष है कि क्या आने वाले समय में उपयोगिता का कोई कार्यशील व सही तथा अर्धवान मापक विकसित किया जा सकता है तथा इस प्रकार भुगतान क्षमता की व्यक्तिगत अवधारणा को कोई कार्यत्मक अर्थ दिया जा सकता है।" ("It remains to be seen whether a workable and reasonable meaningful measure of utility, can be developed in time and whether, thereby the subjective concept of ability to pay can be given on operational meaning.")

इसलिए यह संभव नहीं है कि अच्छी कर संरचना को इस पर आधारित किया जा सके।

कर देय क्षमता का वस्तुगत दृष्टिकोण (Objective Approach of Ability to pay Taxes)

त्याग दृष्टिकोण की व्यावहारिक कमियों को देखते हुए कुछ अर्थशास्त्रियों, विशेषतया अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया है जिसका नाम है करदाताओं की करदेय क्षमता मापने की वस्तुगत पद्धति। प्रो. रोल्डिगमैन ने इस क्षमता को वस्तुगत रूप में फैकल्टी (Faculty) शब्द से संकेतित किया है। इसलिए इस सिद्धान्त को प्रायः 'Faculty theory of ability to pay' के नाम से भी जाना जाता है।

पहले के समाजवादियों सिसमोंडी तथा हाल ने इस अवधारणा में बहुत से क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं। इसी प्रकार जर्मन सुधारकों जैसे कि एडोल्फ वेगनर ने भी कर अंश के वितरण में अन्य समानताओं को बजट के व्यय पक्ष से अलग रखा है। प्रो. वेगनर (Wagner) ने कराधान के विशुद्ध राजकोषीय तथा समाज कल्याण सिद्धान्त में स्पष्ट अंतर रखा है। विशुद्ध राजकोषीय सिद्धान्त की यह मान्यता है कि प्रचलित आय का वितरण सही उपाय है और वह अनुपातिक करारोपण का पक्ष धर है। इसी प्रकार समाज कल्याण का सिद्धान्त इस अवधारणा पर टिका हुआ है कि विभिन्न बाजार शक्तियों तथा उत्तराधिकार नियमों के द्वारा निर्धारित आय के वितरण को राज्य द्वारा सही किया जाना चाहिए।

रोल्डिगमैन ने त्याग सिद्धान्त अथवा व्यक्तिगत विचारधारा के विपरीत यह विचार दिया है कि करदाताओं की कर देने की क्षमता के मौद्रिक मूल्य पर विचार करना चाहिए न कि करदाताओं की भावनाओं तथा कष्टों पर। इस प्रकार यह करदाताओं की मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर नहीं परन्तु आय संचित सम्पत्ति व धन के आधार पर कर देने की क्षमता पर आधारित है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यह विभिन्न तब्यों जैसे आय, उपभोग सम्पत्ति पर विचार करता है जो करदाता की कर देय क्षमता को प्रभावित करते हैं। जितनी अधिक क्षमता होगी कर दाता की कर भुगतान करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी।

करदेय क्षमता की वस्तुगत प्रणाली की कमियाँ (Shortcomings of the objective Approach of the ability to pay)

इस विचार धारा की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है।

1. प्रायः सम्पत्ति पर कर प्रतिगामी दर से होता है जिससे बड़े व्यवसायों की बजाय छोटे सम्पत्ति धारकों पर अधिक बोझ पड़ता है।

2. समुदाय के विभिन्न वर्गों पर कर की गणना के लिये समान प्रणाली का अभाव होता है।
3. लोग कर से बचने के लिए आय तथा सम्पत्ति को छुपाते हैं तथा सहयोग नहीं करते।

कर देय क्षमता सिद्धान्त के गुण (Merits of Ability of Pay theory)

कर देय क्षमता क्षमता सिद्धान्त के प्रमुख गुण निम्न हैं—

1. क्षमता के अनुरूप कर (Tax according to ability) — यह एक महत्वपूर्ण योग्यता है कि नागरिकों पर उनकी भुगतान योग्यता के अनुरूप ही कर लगाया जाये। जैसा कि इस के नाम से ही स्पष्ट है यह एक अच्छे कराधान की योग्यताएं पूर्ण करता है। अमीर लोगों में गरीबों की तुलना में कर भुगतान करने की अधिक क्षमता होती है इसलिए अमीरों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। यह सिद्धान्त इस आवश्यकता को सन्तुष्ट करता है।

2. क्षैतिज तथा उर्ध्व समानता (Horizont & Vertical Equity) — भुगतान क्षमता सिद्धान्त क्षैतिज तथा ऊर्ध्व समानता के आदर्शों को पूर्ण करता है। क्षैतिज समानता का अर्थ है समान लोगों से समान व्यवहार। क्षमता सिद्धान्त गरीबों से कम कर तथा अमीरों से अधिक कर लेकर इस सिद्धान्त को सार्थक बनाता है।

इसके विपरीत ऊर्ध्व समानता का अर्थ है असमान लोगों से असमान व्यवहार कर देय क्षमता सिद्धान्त समान सीमान्त त्याग अथवा न्यूनतम समग्र त्याग द्वारा इसका पालन करता है।

3. सामाजिक न्याय (Social Justice) — सामाजिक न्याय कराधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है तथा करदेय क्षमता सिद्धान्त के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता नियम तथा विशेषतया समान सीमान्त त्याग नियम के अनुसार केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल अमीर लोगों पर गरीबों की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है बल्कि जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी पहुंचाई जाती है ताकि कर के बाद की स्थिति में सीमान्त आय उपयोगिता भी सभी के लिए समान हो तथा कराधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

4. आय की असमानताओं को कम करना (Reduces inequalities of Income) — यह सिद्धान्त आय की असमानताओं को घटाता है। यह कराधान का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च वर्ग से आय का बड़ा भाग लेकर असमानता कम करने वाले कार्यक्रमों पर खर्च करने से गरीबी व समृद्धि के मध्य के अंतर को घटाया जा सकता है तथा सामाजिक कल्याण को भी बढ़ाया जा सकता है।

5. शक्तिशाली समानता अवधारणा (Strong equity concept) — क्षमता सिद्धान्त शक्तिशाली समानता अवधारणा पर आधारित है। यह लोगों को नैतिक अपील करता है। इसलिए यह व्यापक रूप से स्वीकृत है तथा करदाता कर भुगतान विरोध नहीं करता। यदि करदाता कर का विरोध करे तो जन अधिकारियों के लिये कर राजस्व एकत्रित करना अत्यन्त कठिन होगा। जैसा कि प्रायः उच्च टोल दरों के मामले में देखा जाता है।

दोष (Demerits)

इस सिद्धान्त में गुणों के साथ कुछ कमियां भी हैं यथा—

1. गलत मान्यतायें (Wrong assumption) — यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि आय की उपयोगिता को मापा जा सकता है। इस अव्यवहारिक मान्यता के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उपयोगिता अथवा संतुष्टि एक मानसिक स्थिति है तथा वह अनेक सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक बातों पर आधारित है। अतः इसे मापने का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता है।

2. अस्पष्ट सिद्धान्त (Vague Theory) — यह सिद्धान्त अस्पष्ट भी है क्योंकि इसकी कोई निर्णयात्मक परिभाषा नहीं दी गई है। इस सिद्धान्त में समान त्याग की तीन परिभाषाएं दी गई हैं— समान निरपेक्ष त्याग, समान आनुपातिक त्याग तथा समान सीमान्त त्याग। कराधान के कारण प्रत्येक में उपयोगिता के समान त्याग का भिन्न परिमाण है। कोई भी यह नहीं जानता कि इसमें से समानता के किस नियम का पालन किया जाए ?

3. आय का सूचकांक के रूप में प्रयोग (Use of income as Index) — आय को भुगतान क्षमता का सूचकांक बनाने में गंभीर सीमाएं हैं। इस सूचकांक के साथ, क्षमता सिद्धान्त सेवाओं तथा वस्तुओं पर लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आय सूचकांक निगम करों के क्षेत्रों में जहां बहुत बड़ा व्यवसाय कुछ

छोटे स्वामियों के अधिकार में होता है जिन्हें आय का कम अंश मिलता हो कम उपयोगिता रखता है। इस प्रकार समान त्याग नियमों को इन मामलों में सार्थक उपाय के रूप में नहीं लागू किया जा सकता है।

4. अंतर्व्यक्तिक उपयोगिता (Interpersonal utility) – अंतर्व्यक्तिक उपयोगिता की तुलना की मान्यता पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसके अन्तर्गत समान त्याग का सिद्धान्त वैध है। प्रत्येक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व भावनात्मक रूप से भिन्न होता है इसलिए सभी व्यक्तियों के लिए एक सामान्य उपयोगिता वक्र निर्धारित नहीं किया जा सकता ताकि हम अंतर्व्यक्तिक उपयोगिता की सार्थक रूप में तुलना कर सकें। नई कल्याणकारी अर्थशास्त्रीय विचारधारा इस का पूर्ण रूप से खंडन करती है। इस प्रकार समान त्याग का सारा सिद्धान्त अर्थहीन हो जाता है।

5. अव्यवहारिक (Impracticable) – यह कहा गया है कि तीनों समानता नियमों में समान सीमांत त्याग की अवधारणा ही सब से अधिक स्वीकार्य है। तथापि जैसा कि सिल्वरमैन (Silverman) ने कहा है कि, "यह भी अन्य किसी भी नियम की तरह अस्पष्ट है। इस सिद्धान्त को लागू करने के लिए हम कर देने वाले हर व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सीमांत त्याग का आकलन करना होगा। त्याग अभौतिक एवं अदृश्य अवधारणा है तथा कर उन वस्तुओं तथा सेवाओं को ले जाता है जो भौतिक व दृश्य हैं। अभौतिक व भौतिक वस्तु के मध्य उचित सम्बन्ध स्थापित करना असंभव है।" "This is as vague as any other principle. In order to apply this principle, we have to estimate the marginal sacrifices of each and every person paying taxes. Sacrifices being a non material & non tangible concept, a tax takes away commodities which are material or tangible. To establish an exact relationship between non-material and material object is impossible."